16.07.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी का मूल वाद में दिनांक 17.12.019 को स्वीकार किया गया है अप्रार्थीगण की रजि.एडी. दिनांक 11.04.2017 व दिनांक 18.12.2019 की मूल वाद के संलग्न है अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवार हल्का पालड़ी सोलंकियान तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 1.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 2.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 2.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्ब्र 777 रकबा 0.01 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी संयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि आई हुई है। जिसका विधिवत विभाजन होना शेष है। प्रार्थी का हिस्सा कण–कण में हिस्स,कब्जा मौजुद है जिसका बंटवाड़ा कराये बिना अप्रार्थीगण विशेष भू–भाग का बेचान, रहन कर अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है लेकिन यदि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी खुद–बुर्द कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन अंको में नही हो पायेगा। अतः अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित है। हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः गुणवगुण पर टिप्पणी किये बिना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवार हल्का पालड़ी सोलंकियान तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 1.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 2.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 2.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0,97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

750 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि की मूल वाद के तافैसला राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner